श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

कमांकः 4/11/अन्वे./पांच/2015/36923-37172 इंदौर, दिनांक 29-9-2020

अधिसूचना

अगरबत्ती उद्योग

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इंदौर को मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना कमांक 3761/613/16-ए/82 दिनांक 25.5.1982 के द्वारा प्रत्यायोजित किये जाने से, उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये एतद द्वारा अखिल भारतीय अगरबत्ती उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत शासन के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात कर, मैं आशुतोष अवस्थी, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इंदौर विगत जनवरी 2020 से जून 2020 तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत निम्नानुसार घोषित करता हूं –

माह/ वर्ष 2020	अखिल भारतीय अगरबत्ती उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
जनवरी	330
फरवरी	328
मार्च	326
अप्रैल	329
मई	330
जून	332
(औसत)	1975÷6=329.20 (329)

अतः विगत छः माही का औसत 329 घोषित करता हूं जो कि अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिये निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नम्बर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना कमांक एफ 4 (सी) 1-2013-ए-सोलह दिनांक 29/09/2014 एवं श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना कमांक भाग 4(ग) दिनांक 10.10.2014 के द्वारा निर्देशित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों को दिनांक 1.10.2020 से 31.03.2021 तक देय है।

29/9/2020

(आशुतोष अवस्थी)
श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर
तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948
के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की सगणना एवं पुनरीक्षित दरो के संबंध में विवरणात्मक टीप

अगरबत्ती उद्योग

श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना कमांक एफ 4(सी) 1–2013–ए–सोलह दिनांक 29/09/2014 एवं श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना कमांक भाग 4 (ग) दिनांक 10/10/2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 10/10/2014 में प्रकाशित) के अंतर्गत अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों की न्यूनतम वेतन दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंद्व किया गया है।

श्रमायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश शासन, इंदौर की अधिसूचना कमांक 4/11/अन्वे./पांच/2015/... 36323-37172 दिनांक 29-9-2020 के अनुसार, जनवरी 2020 से जून 2020 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत. 329 रहा है। गत छ' माही का औसत 324 रहा था अतः इसके कारण गत छः माही में मान्य किय गये अखिल भरतीय उपभोक्ता के औसत के ऊपर (329–324.)=05 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणामस्वरूप अगरबत्ती नियोजन में परिवर्तनशील मंहगाई भत्त रूपये 25 प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से (25X5.)=125.00 प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। तद्नुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (2001=100) के ऊपर कुल उपभोक्ता में वृद्धि (329–241)=88 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तन ेल मंहगाई भत्ते की कुल राशि (25X88)=2200.00 प्रतिमाह या (2200÷26)=84 रूपये 61 पैसे प्रतिदिन दिनांक 1.10.2020 से 31.03.2021 तक देय है इसी तरह प्रति एक हजार अगरबत्ती रोल करने पर (100 पैसे प्रति 4000) के मान से अर्थात 25 पैसे प्रति हजार बिन्दु के मान से कुल बिन्दु. 88 पर (88 X25=22.00.) 22 रूपये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता दिनांक 1.10.2020 से 31.03.2021 तक देय है।

अनुसूची एफ

अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम मजदूरी	न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते की दरें	न्यूनतम वेतन
अ. अगरबत्ती रोलर्स (1000 अगरबत्ती रोल करने पर) साधारण	21.40	(22.00) 100 पैसा प्रति 4 हजार (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 43.40
ब. सुगंधित(सेंटेड)	22.00	(22.00) 100 पैसा प्रति 4 हजार (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 44.00

इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नही डालेगा,यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों सेअधिक है, तो वह किसी भी दशा में कम नही की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नही हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12 (1–ए))

(आ) निम्न वजन के अनुसार अगरबत्ती गिनना, बटर पेपर की झिल्ली लपेटना, खाली पेकेट में भरकर पेकेट के दोनों और चिट लगाकर पैकेट बंद करना।

<u>बिना सिलोफेन या जिलेटन के</u>

1. 10 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	20.48	(रू.17.60) 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रू.38.08
2. 20 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	21.34	(रू.17.60) 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	38.94
3. 30 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	21.34	(रू.17.60) 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	38.94
4. 40 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	27.23	(रू.22.00) 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	49.23
5. 70 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	36.58	(रू.29.04) 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	65.62
6. 80 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	41.54	(रू.35.20) 100 पैसा प्रति 250 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	76.74
7. 100 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	43.12	(रू.35.20) 100 पैसा प्रति 250 (40 पैसा प्रति बिन्दु)	78.32
8. 200ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	52.76	(रू. 44.00) 100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिन्दु)	96.76

<u>सिलोफेन या जलेटन के</u>

1. 10 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	21.34	(रू.17.60) 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	38.94
2. 20 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	26.60	(रू.22.00) 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	48.60
3. 30 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	33.00	(रू.29.04) 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	62.04

4. 40 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	34.48	(रू.29.04) 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	63.52
5. 70 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	37.03	(रू.29.04) 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	66.07
6. 80 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	43.12	(रू.35.20) 100 पैसा प्रति 250 (40 पैसा प्रति बिन्दु)	78.32
7. 100 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	51.00	(रू.44.00) 100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिन्दु)	95.00
8. 200 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	54.47	(रू.44.00) 100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिन्दु)	98.47

(इ) निम्नानुसार पुंगली बनाकर पेक करना निम्न संख्या में अगरबत्तीयों को गिनकर झिल्ली लपेटना, पुंगलीयों में भरना, लेबल या सिलोफेन या जिलेटीन का ब्राउन पेपर लगाकर बंदकर चीट लगाना.

<u>बिना सिलोफेन या जिलेटन के</u>

1. 10 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकडा	16.98	(रू.14.96) 100 पैसा प्रति 600 (17 पैसा प्रति बिन्दु)	31.94
2. 12 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकडा	17.80	(रू.14.96) 100 पैसा प्रति 600 (17 पैसा प्रति बिन्दु)	32.76
3. 23 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकडा	21.30	(रू.17.60) 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	38.90
4. 50 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकडा	22.19	(रू.17.60) 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	39.79

5. 100 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकडा	26.60	(रू.22.00) 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	48.60
6. 200 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकडा	28.70	(रू.22.00) 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	50.70

(ई) सादे लिफाफे में अगरबत्ती रखकर बन्द करना

1. 5 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकडा	3.85	(रू.3.52) 100 पैसा प्रति 2500 (04 पैसा प्रति बिन्दु)	7.37
2. 10 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकडा	4.44	(रू.4.40) 100 पैसा प्रति 2200 (05 पैसा प्रति बिन्दु)	8.84
3. पुंगली बनाने के कागज(रोलिंग पेपर्स)	प्रति 1000	36.34	(रू.6.16) 100 पैसा प्रति 1500 (07 पैसा प्रति बिन्दु)	42.50

कर्मचारियों का वर्ग (मासिक दर) न्यूनतम मजदूरी
1.10.2020 से 31.03.2021 तक

क.	कर्मचारियों का वर्ग	मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउण्ड अप में दैनिक दरें
		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
1.	पुडा बनाने वाला, मसाला भरने वाला भृत्य, चौकीदार	5939.00	228.42	2200.00	84.61	8139.00	313.03	313.00
2.	टाईपिस्ट,क्लर्क,पेटी भरनेवाला मसाला तौलने वाला	7057.00	271.42	2200.00	84.61	9257.00	356.03	356.00
3.	एकाउटेन्ट,केशियर, गोडाउनकीपर,मिस्त्री, ड्राईवर, पेटीबनाने वाला	8435.00	324.42	2200.00	84.61	10635.00	409.03	409.00

नोटः— अगरबत्ती उद्योग से संबंद्व कर्मचारी जैसे पेटी बनाने वाला, मिस्त्री, ड्राईवर, पेटी भरने वाला, मसाला तोलनेवाला, अकाउंटेट, केशियर, गोडाउन कीपर, टाईपिस्ट, क्लर्क, भृत्य आदि की दैनिक या मासिक मजदूरी न्यूनतम वेतन अधिनियम के अधीन, कुशल अर्धकुशल एवं अकुशल प्रवर्ग की मजदूरी के अनुसार विनियमित की जावेगी।

स्पष्टीकरण

1. मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राऊण्ड—अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9—7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चत्तर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

   इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948 की धारा 12(1—ए)

2. अनुसूची के कॉलम 2 में उपदर्शित न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता (व्ही.डी.ए) जनवरी, 2014 से जून 2014 में औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (जिसे इसमें इसके पश्चात सूचकांक कहा जायेगा) 241 (2001=100) से अधिक पर इस अधिसूचना के कॉलम 3 में उपदर्शित प्रत्येक काम के लिये प्रतिबिंदु सम्मुख अंकित किये गये अनुसार दर से तथा मासिक दर पर

कार्यरत कर्मचारियों के लिये रूपये 25.00 प्रति बिंदु प्रति माह की दर से संदेय होगा। जिसकी गणना प्रत्येक छः माह जुलाई से दिसंबर तथा जनवरी से जून जैसी भी स्थिति हो, के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी और क्रमशः 1 अप्रेल तथा 1 अक्टूबर से देय होगी। इस प्रकार संगणित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता न्यूनतम वेतन का भाग होगा। उक्त औसत सूचकांक न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में घोषित किया जावेगा।

3. अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी परिस्थिति में कम नहीं की जावेगी। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा(1) के खंड (ख) के अधीन परिकल्पित किये गये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पुनरीक्षित दरों में पारिश्रमिक सम्मिलित है।

.4. निर्धारित मासिक मजदूरी कैलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगी, जहां मजदूरी की मासिक दर नियत की गई है। वहां यदि एक दिन की मजदूरी संगणित की जानी हो, तो मासिक मजदूरी को 26 से भाग देकर अभिप्राप्त की जावेगी, जिसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 13 में बताये गये अनुसार विश्राम दिवस का पारिश्रमिक भी सम्मिलित होगा।

29/9/2020
(आशुतोष अवस्थी)
श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

क्रमांकः 5/11/अन्वे./पांच/2015/ 37173-312 इंदौर, दिनांक 29-9-2020

प्रतिलिपिः—

1. उपनियंत्रक शासकीय प्रादेशिक मुद्रणालय, ग्वालियर ;मध्यप्रदेश की ओर अधिसूचना की प्रति भेजते हुए कि इस अधिसूचना को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक के भाग 3 (1) में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
2. राहत आयुक्त, वल्लभ भवन, भोपाल.
3. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर मध्यप्रदेश के समस्त दैनिक समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशनार्थ अग्रेषित.
4. केंद्र निदेशक, आकाशवाणी केंद्र, इंदौर की ओर प्रसारण हेतु अग्रेषित.
5. उपसंचालक, जनसंपर्क विभाग इंदौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित.
6. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित.
7. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग भोपाल की ओर उनके पत्र कमांक 303/आर/577/92/नि–514 दिनांक 30.6.1992 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
8. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, स्थापना, अधीक्षण, भोपाल.
9. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, भोपाल.
10. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग भोपाल.
11. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, भोपाल.
12. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कृषक कल्याण विकास, भोपाल.
13. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल (राहत शाखा)
14. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एव ग्रामीण विभाग, भोपाल.
15. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पुनर्वास विभाग, भोपाल.
16. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, भोपाल.
17. सचिव, मध्यप्रदेश शासन,नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल.
18. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग, भोपाल.
19. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल.
20. सचिव, लोक सेवा आयोग, म.प्र. इंदौर.
21. सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग,भोपाल
22. महालेखाकार, प्रथम एवं द्वितीय, मध्यप्रदेश, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ.
23. समस्त संभाग आयुक्त, मध्यप्रदेश.
24. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
25. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश
26. संचालक, कृषि विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल.
27. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल.
28. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल.
29. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग, भोपाल .
30. प्रमुख वन संरक्षक, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल.
31. उप श्रमायुक्त, इन्दौर/भोपाल.

32. संचालक / समस्त संयुक्त / उप / सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मध्यप्रदेश, इंदौर.
33. समस्त सहायक श्रमायुक्त, म.प्र.
34. समस्त श्रम पदाधिकारी, म.प्र.
35. प्रभारी अधिकारी, समस्त शाखायें, मुख्यालय, इंदौर .
36. सचिव, म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, 82, हर्षवर्धन्न नगर, भोपाल,
37. कल्याण आयुक्त, म.प्र. श्रम कल्याण मण्डल, 83, मालवीय नगर, भोपाल
38. सचिव, म.प्र स्लेट पेन्सिल कर्मकार कल्याण मंडल,मन्दसौर
39. सचिव,म.प्र. शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल,भोपाल
40. लेबर ब्यूरो, शिमला, (हिमाचल प्रदेश) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत कृषि नियोजन में न्यूनतम वेतन परिवर्तन शील मंहगाई भत्ते सहित प्रभावशील कराने के लिये विकासखंड स्तर पर पदस्थ श्रम निरीक्षकों को संबंधित प्रभारी अधिकारी, आवश्यक निर्देश एवं मार्गदर्शन प्रदान करें।

29/9/2020

(आशुतोष अवस्थी)
श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर